

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जिसमें एक सदस्य कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे त कि किसी अन्य पदविकल्प के नाम से। उपरोक्त विषय पर यदि पूर्व में पर उपरोक्त हुआ हो तो पर प्रस्ताव एवं विचार उपरोक्त विचार एवं विचार संशोधन है।



जान : सूचीबद्ध
दूरभाष : (0751) 2241896
(0751) 2442822
फैक्स : (0751) 2241768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ.एम्ब/सत/2012/ 8664

दिनांक... 14/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2821034) को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संशोधित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा: पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विनियमनानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) प्रो. विवेक भाषट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442822)
- (2) प्रो. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. टी.एस. महाजन, व्याख्याता, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) प्रो. डी.एन. जोश्यामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीय विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, भरोहर राशि, तांछित शैक्षणिक/अधिकांशिक

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किविस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितंबर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विनियमनानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिव में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होना एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। विनियमनानुसार अर्पण जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अमीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। अतः निरीक्षण 15 दिवस को अन्तर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के रावेव / कुलसचिव के निजी महायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)